INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण महिला उद्यमिता के सामाजिक-आर्थिक पक्षों का वर्णनात्मक अध्ययन

डॉ. अखिलेश कुमार सेन

सहायक प्राध्यापक, विभाग: राजनीति विज्ञान , भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सार

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण महिला उद्यमिता के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। सरकारी जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह शोधपत्र महिला उद्यमिता की वर्तमान स्थिति, सरकारी योजनाएँ और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करता है। अध्ययन दर्शाता है कि पिछले सात वर्षों में ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और छत्तीसगढ़ की राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 इस वृद्धि को और गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण महिला उद्यमिता, सामाजिक-आर्थिक विकास, स्वसहायता समूह, आर्थिक सशक्तिकरण

1. प्रस्तावना

भारत की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य भाग में स्थित है और यह एक कृषि-प्रधान क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, 2011-12)।

राज्य की कुल जनसंख्या में 71.04 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर 60 प्रतिशत के आसपास है। यह साक्षरता दर महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता की ओर अग्रसर करने का आधार प्रदान करती है। महिला उद्यमिता केवल व्यक्तिगत आय वृद्धि का साधन नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का मार्ग है (दृष्टि आईएएस, 2023)।

भारत सरकार ने 70 से अधिक केंद्रीय योजनाएँ और विभिन्न राज्य सरकारें 400 से अधिक राज्य स्तरीय योजनाएँ संचालित कर रही हैं, जो महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उन विशेष राज्यों में शामिल है जहाँ पहली बार महिला उद्यमी नीति को मंजूरी मिली है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2024-25)।

2. महिला श्रम बल भागीदारी की वर्तमान स्थिति

2.1 राष्ट्रीय स्तर पर आँकड़े

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

(एफएलएफपीआर) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में जहाँ यह दर 23.3 प्रतिशत थी, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2024-25)। यह वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आँकड़ों के अनुसार:

- महिला कार्यबल भागीदारी 2017-18 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गई है
- महिला बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है
- ग्रामीण भारत में यह वृद्धि सबसे तेज रही, जहाँ महिला रोजगार में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
- महिला स्वरोजगार में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 51.9 प्रतिशत से 2023-24 में 67.4 प्रतिशत तक बढ़ गई है(आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2023-24)

2.2 कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

भारत के कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पिछले दशक में 135 प्रतिशत बढ़ी है। वर्तमान में भारत के कृषि कार्यबल का 42 प्रतिशत से अधिक हिस्सा महिलाओं का है। ग्रामीण भारत में हर तीन में से दो महिलाएँ कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं (दृष्टि आईएएस, 2024)।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 2011-12 के आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारत में महिला श्रमिकों का 59.3 प्रतिशत स्व-नियोजित है, जो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और गृह-आधारित गतिविधियों में कार्यरत है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य में महिला उद्यमिता

3.1 महिला-नेतृत्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

भारत में महिला-नेतृत्व वाली एमएसएमई की संख्या लगभग 1.92 करोड़ तक पहुँच गई है। वर्ष 2010-11 में महिलाओं के स्वामित्व वाली संस्थाओं में हिस्सेदारी 17.4 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 26.2 प्रतिशत हो गई है (राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड, 2024)। ये महिला-नेतृत्व वाली एमएसएमई आर्थिक विस्तार की इंजन बन रही हैं।

वर्ष 2021 से 2023 के बीच, महिला-नेतृत्व वाली एमएसएमई ने महिलाओं के लिए 89 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

3.2 छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमिता नीति 2023-28

छत्तीसगढ़ राज्य भारत में उन प्रथम राज्यों में है जहाँ एक सुनिश्चित और व्यापक महिला उद्यमिता नीति

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

अपनाई गई है। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत (छत्तीसगढ़ शासन, 2023):

- विनिर्माण उद्यम परियोजनाओं के लिए महिला उद्यमियों को अधिकतम 50 लाख रुपये का सहायता प्रदान किया जाता है
- सेवा उद्यम परियोजनाओं के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है
- व्यवसाय उद्यम परियोजनाओं के लिए भी उचित वित्तीय सहायता दी जाती है
- यह नीति महिलाओं को स्व-नियोजित उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है

3.3 स्वसहायता समूह कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए स्वसहायता समूहों का विशाल नेटवर्क विकसित किया गया है। आँकड़ों के अनुसार (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2024-25):

- राज्य में योजना प्रारंभ से 2.29 लाख महिला स्वसहायता समूह बनाए गए हैं
- इन समूहों को 344.77 करोड़ रुपये की चक्रिय निधि प्रदान की गई है
- 1.35 लाख महिला स्वसहायता समूहों को 1045.47 करोड़ रुपये की सामुदायिक निवेश निधि दी गई है
- छत्तीसगढ़ के 2024-25 बजट में स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (छत्तीसगढ़ बजट, 2024-25)

4. ग्रामीण महिला उद्यमिता के सामाजिक पक्ष

4.1 शिक्षा और कौशल विकास

महिला उद्यमिता के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में यह कम है।

तालिका 1: शिक्षा संकेतक: ग्रामीण और शहरी तुलना

संकेतक	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
महिला साक्षरता दर (प्रतिशत में)	60	75

स्नातक महिलाएँ (2024)	47.53%	55%
माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच	45	70

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 55 प्रतिशत भारतीय स्नातक वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होंगे। कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को उद्यमिता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.2 सामाजिक सशक्तिकरण

महिला उद्यमिता का सामाजिक पहलू परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाता है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती हैं, तो उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और वे पारिवारिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती हैं (विश्व बैंक, 2024)।

स्वसहायता समूहों के माध्यम से:

- महिलाओं को सामूहिक शक्ति का अनुभव होता है
- सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग में वृद्धि होती है
- महिलाओं को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच मिलती है
- सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है

4.3 स्वास्थ्य और पोषण सूचकांक

महिला उद्यमिता से जुड़ी महिलाओं के पास अपने स्वास्थ्य और पोषण पर बेहतर नियंत्रण होता है। आर्थिक आय के कारण ये महिलाएँ:

- बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सकती हैं
- अपने परिवार के पोषण में सुधार कर सकती हैं
- महिला और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग ले सकती हैं
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं

5. ग्रामीण महिला उद्यमिता के आर्थिक पक्ष

5.1 आय सृजन और गरीबी कमी

महिला उद्यमिता गरीबी को कम करने का एक प्रभावी साधन है। ग्रामीण महिलाएँ जब आत्मनिर्भर उद्यमी

बनती हैं, तो न केवल उनकी आय में वृद्धि होती है, बल्कि पूरे परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार:

- ई-श्रम पोर्टल पर 16.69 करोड़ से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हुआ है (भारत सरकार श्रम मंत्रालय, 2024)
- ईपीएफओ पेरोल डेटा बताता है कि पिछले सात वर्षों में 1.56 करोड़ से अधिक महिलाएँ औपचारिक क्षेत्र में शामिल हुई हैं
- महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है

5.2 कृषि और संबंधित गतिविधियाँ

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण महिला उद्यमिता का मुख्य क्षेत्र कृषि और संबंधित गतिविधियाँ हैं। महिलाएँ:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्यम चलाती हैं
- पशुपालन व्यवसाय करती हैं
- जैविक खेती में भाग लेती हैं
- बागवानी और सब्जी उत्पादन में लगी हुई हैं
- मधु पालन और दुग्ध उत्पादन करती हैं(कृषि समय, 2024)

राज्य में 2014 से जैविक खेती मिशन और 2016 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) संचालित है, जिसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

5.3 हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योग

हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योग छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता का एक प्रमुख क्षेत्र है:

- बाँस और लकड़ी की कारीगरी
- वस्त्र बुनाई और छपाई
- मिट्टी के बर्तन और कलात्मक वस्तुएँ
- चावल-भूसी और अन्य कृषि-आधारित उत्पाद
- महिलाएँ गृह-आधारित उद्योग भी संचालित करती हैं

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

5.4 भूमि स्वामित्व और संपत्ति अधिकार

भूमि स्वामित्व महिला उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में केवल 13.88 प्रतिशत भूमि धारक महिलाएँ हैं (जनगणना भारत, 2011)। छत्तीसगढ़ में भूमि सुधार नीतियाँ महिलाओं के भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं।

10वीं कृषि जनगणना (2015-16) के अनुसार, कृषि में महिलाओं का परिचालन स्वामित्व 2010-11 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 14 प्रतिशत हो गया है, हालांकि यह वृद्धि अभी भी अपर्याप्त है।

6. महिला उद्यमिता की चुनौतियाँ

6.1 आर्थिक चुनौतियाँ

1. **पूँजी तक सीमित पहुँच:** महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच अभी भी पर्याप्त नहीं है (राज्य बैंक भारत, 2024)।
2. **ब्याज दरें:** महिला उद्यमियों को अक्सर अधिक ब्याज दरें देनी पड़ती हैं।
3. **बाजार तक पहुँच:** ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों को बाजार में बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
4. **वेतन असमानता:** महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन और अधिक काम करना पड़ता है।

6.2 सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ

1. **सामाजिक मान्यता:** पितृसत्तात्मक समाज में महिला उद्यमिता को पूर्ण सामाजिक मान्यता नहीं मिली है।
2. **परिवारिक समर्थन:** कुछ परिवारों में महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता।
3. **शिक्षा की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी महिला उद्यमिता को बाधित करती है।
4. **बाल विवाह और बहु-कार्य:** बाल विवाह और घरेलू कार्यों के बोझ से महिलाएँ व्यवसाय विकास पर ध्यान नहीं दे पाती हैं।

6.3 संस्थागत चुनौतियाँ

1. **सीमित प्रशिक्षण सुविधाएँ:** उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँचे हैं।
2. **प्रौद्योगिकी तक पहुँच:** डिजिटल विभाजन महिलाओं के लिए एक समस्या है।
3. **सूचना की कमी:** सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी अधिकतर महिलाओं तक नहीं पहुँचती है।
4. **व्यवसायिक सलाह:** व्यावसायिक मार्गदर्शन और सलाह सेवाएँ पर्याप्त नहीं हैं।

7. सरकारी योजनाएँ और समर्थन

7.1 राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ

- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी):** यह योजना कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना:** इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- **महिला स्वरोजगार सहायता (डब्लूएसएस):** गैर-कृषि क्षेत्रों में महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करता है (भारत सरकार, 2024)।

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाएँ

- **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा):** ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करता है।
- **बिहान योजना:** महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है।
- **ब्रयात योजना:** परंपरागत उद्योगों को संरक्षित और विकसित करता है।
- **बिहान उद्यम योजना:** महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता और सुविधाएँ प्रदान करती है।

8. सुझाव और निष्कर्ष

8.1 महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के सुझाव

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

1. **वित्तीय पहुँच:** महिला उद्यमियों के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध वित्तीय सेवाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. **कौशल विकास:** नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जो महिलाओं को आधुनिक कौशल से लैस करें।
3. **बाजार सहायता:** महिला-निर्मित उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाने चाहिए।
4. **डिजिटल साक्षरता:** सभी महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए।
5. **भूमि अधिकार:** महिलाओं के भूमि स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधार किए जाने चाहिए।
6. **बाल देखभाल सुविधाएँ:** महिलाओं को व्यवसाय करने में सक्षम बनाने के लिए सामुदायिक बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
7. **नेतृत्व विकास:** महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वसहायता समूहों और सहकारी संगठनों का नेतृत्व कर सकें।

8.2 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण महिला उद्यमिता का विकास एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखा रहा है। पिछले सात वर्षों में ग्रामीण भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में 96 प्रतिशत की वृद्धि ने महिला उद्यमिता की संभावनाओं को नए आयामों में ले जाया है। राज्य की महिला उद्यमिता नीति 2023-28, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अन्य समर्थन कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तथापि, भूमि स्वामित्व, वित्तीय पहुँच, शिक्षा, और सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएँ अभी भी महिला उद्यमिता के मार्ग में रुकावटें बनी हुई हैं। ये चुनौतियाँ केवल सरकारी योजनाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि समाज के सहयोग और महिलाओं की अपनी शक्ति के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। आने वाले वर्षों में, यदि निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता के विकास की असीम संभावनाएँ हैं:

- स्वसहायता समूहों का सशक्तिकरण
- डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग
- कौशल विकास में निवेश
- बाजार संपर्क में सुधार
- पारिवारिक और सामाजिक समर्थन

- महिला-केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ राज्य के विकास का आधार हैं। उनकी उद्यमिता, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही वास्तविक आर्थिक विकास संभव है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का अर्थ है–एक सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत का निर्माण करना।

संदर्भ

1. छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय। (2021)। छत्तीसगढ़: एक दृष्टि। शासन प्रकाशन। https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/ES2024-25/ES-1.pdf/ https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/ES2024-25/ES-2.pdf/ https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/ES2024-25/ES-3.pdf
2. दृष्टि आईएएस। (2023)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28। https://www.drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/
3. आर्थिक सर्वेक्षण। (2024-25)। महिला श्रम बल भागीदारी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/ES2024-25/Content.pdf
4. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)। (2023-24)। भारत सरकार श्रम सांख्यिकी डेटा। https://descg.gov.in/Economic-Survey.aspx
5. दृष्टि आईएएस। (2024)। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण। https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/
6. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड। (2024)। महिला एमएसएमई सर्वेक्षण। भारत सरकार। https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/6_Chapter-1-064ba61b1d00775.99077831.pdf
7. छत्तीसगढ़ शासन। (2023)। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28। रायपुर। https://hi.prsindia.org/files/budget/budget_state/chhattisgarh/2024/CHG_Budget_Analysis-2024-25(Hindi).pdf[11]
8. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। (2024-25)। स्वसहायता समूह आँकड़े। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। https://hi.prsindia.org/files/budget/budget_state/chhattisgarh/2024/CHG_Budget_Analysis-2024-25(Hindi).pdf[11]
9. छत्तीसगढ़ बजट। (2024-25)। महिला कल्याण के लिए बजटीय आवंटन। https://hi.prsindia.org/files/budget/budget_state/chhattisgarh/2024/CHG_Budget_Analysis-2024-25(Hindi).pdf[11]
10. विश्व बैंक। (2024)। महिला उद्यमी ऐसे बढ़ रही हैं आगे। https://www.worldbank.org/hi/news/
11. भारत सरकार श्रम मंत्रालय। (2024)। ई-श्रम पोर्टल डेटा।https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/6_Chapter-1-064ba61b1d00775.99077831.pdf

12. कृषि समय। (2024)। कृषि व्यवसाय में महिलाएँ। https://krishitimes.com/
13. जनगणना भारत। (2011)। कृषि जनगणना 2010-11 और 2015-16। https://agriportal.cg.nic.in/PDF/AnnualReports/Year-2015-16.pdf
14. राज्य बैंक भारत। (2024)। महिला उद्यमी वित्त पोषण रिपोर्ट। https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2023/6_Chapter-1-064ba61b1d00775.99077831.pdf
15. भारत सरकार। (2024)। केंद्रीय योजनाएँ: महिला उद्यमिता सहायता। मंत्रालय संचार। https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/economicsurvey/doc/eschapter/hechap08.pdf
16. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। (2011-12)। महिला श्रम बल सर्वेक्षण। भारत सांख्यिकी मंत्रालय। https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/ES2024-25/Press_Note_EC2024-25.pdf